

खरीज
9.2.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2025/715

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

राहुल

बनाम

राजू आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 493 वर्ष 2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|--|---|
| 03.09.2025 | वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 06.10.2025 को पेश हो। | |
| 6-10-2025 | <p>बार संघ का कार्य स्वगन होने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9.12.2025 को पेश हो।</p> | |
| 9.12.2025 | <p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की।</p> <p>दिनांक 9.12.2025</p> | |
| 9.2.2026 | <p>वकील वादी ने आवेदन-पत्र मिकाल पेश करके पर पत्रावली को पेश करने में निरास होने के कारण आवेदन नही चलाया करते है।</p> <p>वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र में राजी नाम राहुल होने के कारण आवेदन नही चलाया करते है।</p> <p>मौजूका दिवसी में खरीज करवाना चाहते है।</p> <p>वाद-पत्र मौजूका दिवसी में खरीज किया जा रहा है।</p> <p>पत्रावली नम्बर के अन्तर्गत वाद पत्र रजिस्टर करवाया जाया जाखिल इफ्तार हो।</p> | <p>राजी नाम को के कारण आवेदन नही चलाया है।</p> <p>राहुल पक्षी</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> |

